E-Waste Collection Facilities

SN	Facility Name	Ward Name	Latitude	Longitude
1	Material Recovery Facility, Kutukpur Chanora, near petrol pump Firozabad	0	27.1904	78.4161
2	RRR, Arya Nagar Marghati Ke Pass	37	27.1582	78.3953
3	RRR, Matadeen Halwai Ke Pass Nagla Mirza Bada	03	27.1583	78.4067
4	RRR, Dadu Nagar Himayupur	28	27.9339	78.2232
5	RRR, Arya Nagar	37	27.1552	78.3921
6	RRR, Near Swastha Vibhag	31	27.1571	78.389
7	RRR, In front of Monark Hotel	37	27.1592	78.3957

Nodal (N CAP)
Nagar Nigam, Fzd.

कार्यालय नगर निगम फिरोजाबाद

पत्रांक:333/सोलिड वेस्ट/ई-निविदा सूचना/2022-23 दिनांक 25 नवम्बर 2022

आवश्यक सूचना

नगर निगम, फिरोजाबाद के समस्त सम्मानित नागरिकों के भवन/ भू- स्वामियों से अपील की जाती है कि वह अपने भवनों की मरम्मत या नए भवन निर्माण के दौरान निकलने वाले मलवा (Construction & Demolition Waste) को सार्वजनिक स्थलों पर न फेके, बल्कि नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा निर्धारित मलवा स्थलों क्रमश वार्ड नं. 12 ककरऊ में मौजा सुखमलपुर निजामाबाद गाटा सं. 370 (बिजली पावर हाउस के बगल में) एवं वार्ड सं. 19 संत नगर में मौजा प्रेमपुर रैपुरा के गाटा सं. 757, 758, 760 (कन्हैया नगर के पास) पर फेके अथवा नगर निगम फिरोजाबाद के कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर 8958575575 पर मलवा हटाये जाने हेतु सूचित करें। आपके भवनों/ भू-भाग से निकलने वाले मलवे को उठाने हेतु नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा रु. 330 प्रति घन मीटर की दर से यूजर चार्ज लिया जाना निर्धारित किया गया है। यदि किसी भी भवन/ भू-स्वामी द्वारा खुले में मलवा फेका जाता है तो उसका यह कृत्य C&D waste Management & Handling Rules 2016 एवं मा. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेशों का उल्लखंन है तथा संबंधित के विरूद्ध मलवा हटाने के लिए निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त 03 गुना अर्थदण्ड के साथ-साथ कृत्य C&D waste Managemnet & Handling Rules 2016 एवं मा. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश एवं नगर निगम अधिनियम 1959 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधी भवन/भू-स्वामी की होगी।

नगर आयुक्त
नगर निगम, फिरोजाबाद।

ज.सं. कार्या. (जल) द्वारा जारी, विज्ञा. सं. जे.एस.पी. 211(2022-23)

कार्यालय नगर निगम फिरोजाबाद

पत्रांक: 865/सा0प्र0/स्वा0वि0/2022-23

दिनांक:-28.06.2022

प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक
(नोटिफिकेशन)

सर्वधारण को सूचित किया जाता है, कि प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूडा कचरा (विनियमन) अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या-1056/9-7-18-29 (लखनऊ) / 18, दिनांक 15.07.2018 तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.08.2021 द्वारा अधिसूचित अपशिष्ट प्लास्टिक संशोधित नियम-2021, जिसके द्वारा नगरीय क्षेत्रों में सिंगल यूज प्लास्टिक (SUP) आईट्मस को चरणबद्ध रूप से प्रतिबंधित किया गया है तथा उक्त अधिसूचना दिनांक 12.08.2021 द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक आईट्मस में से प्लास्टिक कैरी बैग एवं प्लास्टिक तथा थर्माकॉल निर्मित एक बार उपयोग के पश्चात् निस्तारण योग्य कपों, गिलासों, प्लेटों चम्मचों, टंबलरों को उत्तर प्रदेश शासन के अधिसूचना दिनांक 15.07.2018 द्वारा पूर्व से ही प्रदेश, में प्रतिबंधित किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 12.08.2021 में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक आईट्मस का विवरण निम्नवत है।

S. No.	Date	Prohibited items in GOI Notification dated 12-08-2021	Action Already taken By State of UP (Urban Development Department)
1-	30.09.2021	Plastic Carry Bags With Thickness Less Than 75 Microns	All Kinds of Disposable Carry Bags and Cups, Glasses, Spoons, Tumblers etc. Made up of Plastic or Thermocol Disposable After One Time Use Are Prohibited By Notification Dated 15.07.2018
2-	31.12.2022	Plastic Carry Bags With Thickness Less Than 120 Microns	
3-	30.09.2021	Non Woven Plastic Carry Bags Less Than 60 GSMAre Prohibited	
4-	01.07.2022	Ear Buds With Plastic Sticks, Plastic Sticks For Ballons, Plastic Flags, Candy Sticks, ice-cream Sticks, Polystyrene (Thermocol) For Decoration.	
5-	01.07.2022	Plates, Cups, Glasses, Cuterly Such as Forks Spoons, knives, Trays, Wrapping Or Packing Films Around Sweet Boxes, Invitation Cards And Cigrette Packets, Plastic Or PVC Banners Less Than 100 Microns, Stickers.	

उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या-1056/9-7-18-29 (लखनऊ) /18 दिनांक 15.07.2018 के क्रम में नगर निगम फिरोजाबाद के सीमान्तर्गत (1) प्लास्टिक या थर्माकॉल से निर्मित एक बार उपयोग के पश्चात् निस्तारण योग्य कपों, गिलासों, प्लेटों, चम्मचों, टंबलरों, का (2) समस्त प्रकार के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों का क्रमशः दिनांक 15 अगस्त 2018 एवं 02 अक्टूबर 2018 से उपयोग विनिर्माण विक्रय वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को प्रतिषिद्ध किया गया है। यदि कोई इसका शमन करता हुआ पाया जाता है तो नियमानुसार रु01000/- से रु0 25000/- तक का शमन शुल्क वसूल किया जायेगा।

नगर आयुक्त
नगर निगम, फिरोजाबाद।

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर निगम फिरोजाबाद

पत्रांकः 4073 सा.प्र./2019-20 दिनांकः 24.07.2019

विज्ञप्ति

भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 लागू किये गये थे, जिसके आधार पर नगर निगम फिरोजाबाद एवं ठोस (अपशिष्ट प्रबन्धन व संचालन) उपविधि-2016 तैयार करते हुए, प्रवत्त की गयी। उक्त उपविधि में खुले में कचरा फैलाने, खुले में शौच एवं मूत्र विसर्जन किये जाने आदि पर जुर्माने का प्राविधान किया गया है।

उक्त उपविधि को नगर निगम फिरोजाबाद के मा. सदन ने दिनांक 05.03.2019 को स्वीकृत कर दिया है।

अतः उपरोक्तानुसार उक्त उपविधि एतद् द्वारा प्रकाशित एवं नगर निगम सीमा में तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त की जाती है।

नगर आयुक्त
नगर निगम फिरोजाबाद

Fines in Case of Non Compliance With Any Rules And Bye Laws

उपविधियों के उल्लंघन में किये गये कृत्यों के लिये निर्धारित कैरिंग चार्ज।

क्र.सं.	कृत्य	नगर निगम द्वारा आरोपित धनराशि
1.	आवासीय भवन स्वामियों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	200/-रु0 प्रतिदिन
2.	दुकानदारों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	500/-रु0 प्रतिदिन
3.	रेस्टोरेन्ट मालिक द्वारा खुले में कचरा डॉलने पर	1500/-रु0 प्रतिदिन
4.	होटल मालिकों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	2000/-रु0 प्रतिदिन
5.	औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा खुले में कचरा डालने पर	1000/-रु0 प्रतिदिन
6.	हलवाई, चाट, पकौड़ी, फास्ट फूड, आईस्क्रीम, गन्ने का रस एवं अन्य जूस सब्जी एवं फ्रूट आदि ठेला व्यवसायियों पर	100/-रु0 प्रतिदिन
7.	गोबर सार्वजनिक स्थलों पर डालने पर	2000/-रु0 प्रतिदिन
8.	निजी ट्रैक्टर द्वारा बजरी, कचरा, मलबा गोबर इत्यादि परिवहन कराते हुए नगर निगम की सड़क पर अपनी सामग्री बिखरने व गंदगी फैलाने पर	1000/-रु0 प्रतिदिन
9.	बिना सक्षम स्वीकृत के रोडकट करने पर तथा नाली तोडने की दशा में	1000/-रु0 प्रतिदिन व मरम्मत चार्ज
10.	अपने मकान भवन का सीवरेज कनेक्शन नहीं लेकर सीवरेज की गंदगी आम नाली/नाली में बहाने पर	500/-रु0 प्रतिदिन
11.	क्रमांक 2 से 6 तक वर्णित व्यवसायियों द्वारा अपने व्यवसाय स्थल का कचरा एकत्रित रखने के लिए निर्धारित ढक्कनदार कचरा पात्र आवश्यक क्षमता का नहीं रखने पर	2000/-रु0 प्रतिदिन
12.	दुकानदार अथवा ठेला व्यवसायियों द्वारा सड़क पर बैठकर स्कूटर व साईकिल रिपेयरिंग कर ऑयल, मिट्टी व पानी फैलाकर गंदगी करने पर	250/-रु0 प्रतिदिन
13.	मीट की दुकान के सामने दुकानदार द्वारा काटे गये जानवरों की हड्डियां, मलबा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डे के छिलके इत्यादि सड़क आम रास्तों में डालकर गंदगी फैलाने पर	500/-रु0 प्रतिदिन
14.	शादी/विवाह स्थलों के बाहर खुले में कचरा डालने पर	1000/-रु0 प्रतिदिन
15	आम रास्ता, सडड़क व मकान के सामने गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, गधा, घोड़ा, सुअर इत्यादि पालतू जानवरों से गंदगी फैलाने पर	300/-रु0 प्रतिदिन
16.	आम रास्ता, सड़क पर खुले में या टेन्ट लगाकर खुलेआम मांस मछली पकाने व अंश सड़क पर डालने व गंदगी फैलाने पर	1000/-रु0 प्रतिदिन
17.	सार्वजनिक जमीन स्थान पर सड़क के किनारे बैठकर सब्जियां बेचकर छिलके व अंश सड़क पर डालने व गंदगी फैलाने पर	50/-रु0 प्रतिदिन
18.	हेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा आम रास्ता व सड़क पर गंदगी, बाल इत्यादि डालने पर	100/-रु0 प्रतिदिन
19.	दुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा आम रास्ता, सड़क अथवा दुकानों के सामने की खाली, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भवन सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर	2500/-रु0 प्रतिदिन
20.	दुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा आम रास्ता, सड़क अथवा दुकानों के सामने की खाली, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बल्क सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर एनजीटी के आदेशों के अनुपालन में	50,000/-रु0 प्रतिदिन
21.	आम रास्ता, सड़क, फुटपाथ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय, ढावा चलाकर गंदगी फैलाने पर	500/-रु0 प्रतिदिन
22.	प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, दवाखाना इत्यादि द्वारा आम रास्तों, सड़क फुटपाथ पर गंदगी डालकर गंदगी फैलाने पर	1000/-रु0 प्रतिदिन

23.	सड़क के किनारे वाशिंग मशीन लगाकर गाड़ियों की धुलाई करने की दशा में	500/-रु0 प्रतिदिन तथा पानी का कनेक्शन काटने का चार्ज
24.	विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों जैसे प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथेलोजी इत्यादि के जैव चिकित्सीय अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट में अथवा सार्वजनिक स्थान पर डालने पर	5000/-रु0 प्रति घटना
25.	खुले में शौच करने पर	50/-रु0 प्रति
26.	खुले में शौच करते हुए दुबारा मिलने पर	100/-रु0 प्रति
27.	व्यवसायिक प्रतिष्ठान में डस्टबिन न रखने पर	पहली बार पाये जाने पर 100/- रु0 दोबारा पाये जाने पर 500/- रु0
28.	पान मसाला/पान के सड़क, पटरी, दीवार, नाली में थूकने पर (कोटपा के अंतर्गत)	200/-रु0
29.	नाली में कूड़ा डालने पर	300/-रु0
30.	खुले में पेशाब करने पर	50/- रु0
31.	डोमेस्टिक हर्जाडस वेस्ट खाली प्लाट, पटरी, नाले में फैकने पर	200/- रु0
32.	खाली प्लाट में सॉलिड वेस्ट फैकने पर	1000/-रु0
33.	खुले में कचरा जलाने पर/एन.जी.टी. के आदेश के क्रम में आग लगाकर जलाने पर	5000/-रु0
34.	बल्क वेस्ट जेनरेटर द्वारा अपने परिक्षेत्र में कराये फैलाने/इधर-उधर फैंकने, आग लगाने आदि पर एन.जी.टी. के आदेश के क्रम में आग लगाकर जलाने पर	25000/- रु0
35.	मलबा सी.एन.डी. वेस्ट सार्वजनिक सड़क, मार्ग पटरी, खाली प्लाट में इधर-उधर फैंकने पर	100/- रु0
36.	गीले व सूखे कूड़े को अलग-अलग रखने एवं न देने पर	5000/- रु0 प्रतिदिन वैवाहिक स्थल, पार्टी, हॉल इत्यादि 3000/- रु0 प्रतिदिन सिनेमा हॉल, क्लब, कम्यूनिटी हॉल 500/- अन्य व्यवसायिक स्थल।